106/22

तारीख हुक्म	106 / 2022 [illegible] मगलाराम वगैरा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.8.2024	वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 के वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 02 अनुपस्थित। प्रार्थना-पत्र निर्णय हेतु, अग्रिम दिनांक 27.08.2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	
27.8.24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 के वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 02 अनुपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(डी) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी संख्या 01 की बहस है कि वादी की ओर से वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर ग्राम भीमरलाई तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 120,121 व 125 कुल रकबा 32.06 बीघा भूमि में 1/3 हिस्सा खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेघाज्ञा जारी करवानें हेतु पेश किया गया है। जबकि वादग्रस्त आराजी का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा आपसी सहमति के आधार पर प्रशासन गांवो के संग अभियान वर्ष 2013 में बंटवाड़ा करवाया गया,उक्त बंटवाड़ा के आधार पर नामान्तकरण संख्या 271 पारित हुआ तथा वादी एवं प्रतिवादी के खाते अलग–अलग होकर तरमीम हुए। पक्षकारान का माफिक बंटवाड़ा अनुसार मौके पर कब्जा–काश्त चला आ रहा है। वादी द्वारा बंटवाड़ा के बाद रास्ते के लिए भूमि समर्पण की गई,जिसके खसरा संख्या 937/125 कायम हुए। इस प्रंकार वादी का वाद न्यायालय श्री में चलने योग्य नहीं है,क्योंकि वादी का [illegible] से वर्जित होने के कारण खारिज किया जावें। इसके विपरीत वकील वादी की बहस है [illegible] वादी की ओर से मनगढत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है,जो चलने योग्य नहीं है,क्योंकि वादग्रस्त आराजी के संबध में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य आपसी सहमति के आधार पर कोई बंटवाड़ा नहीं हुआ है। जबकि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:27:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सांठ–गाठ कर फर्जी व कुटरचित तरीके से वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करवाया है तथा फर्जी तरीके से ही नामान्तकरण पारित करवाया गया है। यदि वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा हुआ होता तो प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रति पेश की जाती,जो कि नहीं पेश की गई है। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा नहीं हुआ है। इस कारण वादग्रस्त आराजी का फर्जी तरीके से हो रखा बंटवाड़ा निरस्त किया जाकर वादी का वाद–पत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा का पेश किया गया है। अतः मैं निवेदन किया कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

हमनें दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि वादी की ओर से वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर मुख्य इस्तदुआ चाहा कि ग्राम भीमरलाई तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 120,121 व 125 कुल रकबा 32.06 बीधा भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा है तथा उक्त हिस्सेनुसार वादी का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा राजस्वकर्मीयो से सांठ–गाठ कर फर्जी तरीके से वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा करवा दिया गया,उक्त बंटवाड़ा के आधार पर नामान्तकरण संख्या 271 पारित होकर तरमीम कर दी गई,जो गलत आधार पर होने के कारण निरस्त की जाकर वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा एवं स्थाई निषेघाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया। जबकि पत्रावली के संलग्न नामान्तकरण संख्या 271 अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का प्रशासन गांवो के संग अभियान–2013 में बंटवाड़ा के आधार पर नामान्तकरण पारित हुआ था। इस प्रकार यह भली भांति साबित हो चुका है कि वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा होने पर ही रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही हुई है,यदि वादी उक्त आदेश से संतुष्ट नहीं है तो सक्षम माननीय न्यायालय में चाराजोही [illegible] लिए स्वतंत्र है,लेकिन हस्तगत प्रकरण [illegible] नहीं है,क्योकि वादी का वाद विधि से वर्जित है। [illegible] उक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहु[illegible] है कि वादी का वाद खारिज योग्य है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:27:13 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रतिवादी संख्या 01 का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 (डी) सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

पत्रावली फैसल सुमार होहर दाखिल दफतर हों।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) घालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:27:13 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 106 / 2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022 / 340

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादी	प्रतिवादीगण
धनाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी भीमरलाई स्टेशन तहसील पचपदरा	1.वगताराम पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी भीमरलाई स्टेशन तहसील पचपदरा 2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद बाबतः–88,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बरः–106 / 2022

निर्णय दिनांक :–27.8.2024

वादी की ओर से श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 02 अनुपस्थिति इस वाद में आज तारीख 27.8.2024 को श्री राजेश कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–प्रतिवादी संख्या 01 का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 (डी) सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह आज तारीख 27.8.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4...........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	–– –––	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.[illegible] फीस 4.स[illegible] निर्वाह व्यय 5.[illegible] तामील 6.कमि[illegible] फीस	––––––
जोड़	–	जोड़	–––––

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:27:13 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा